(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 12/2013
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2013/00012

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

सईद पुत्र नौसाद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2– श्री प्रियदर्शन शर्मा (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 20.06.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल सईद पुत्र नौसाद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, बारां के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी कोतवाली, बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्ध थाना कोतवाली, बारां में वर्ष 2000 से 2012 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 06.11.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब दिनांक 28.04.2014 प्रस्तुत कर, कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। थाना कोतवाली बारां से गैरसायल के वर्तमान चालचलन की रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2000 से 2012 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। थानाधिकारी कोतवाली बारां से प्राप्त चरित्र रिपोर्ट दिनांक 23.05.2021 के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2015 से 2021 तक की अवधि में 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। जिनमें से भी 8 प्रकरणों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2000 से 2012 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्ध कोई नया दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली बारां द्वारा गुण्डा एक्ट की इस न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2000 से 2012 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। तथा वर्ष 2015 से 2021 तक भी गैरसायल के विरूद्ध 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ दर्ज हुए है जिनमें से 8 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब किया गया है तथा तीन प्रकरण लम्बित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि सईद पुत्र नौसाद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल सईद पुत्र नौसाद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, बारा को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली, बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल सईद पुत्र नौसाद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली, बारां क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, बपावर जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला पुलिस अधीक्षक, बारां, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर, जिला कोटा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी कोतवाली, बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली, बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर, जिला कोटा के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ